

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

ज अदालत उपरवण्ड अधिकारी मुकाम टोडमीम व
 जलास वीरसीन अधिकारी श्री जगदीश आर्य R.A.S

उजवान

बेह पुत्र जगज जाति
ग निवारी टोडमीम
सी का पुरा

बमणदी पुत्र बला जाति मीना जिन्सीक
पुत्र टोडमीम (मूलक)

बनाम

- (1) काडू पुत्र जगज जाति मीना जिन्सी का पुत्र 11 वरुण
- (2) उटु पुत्र डेवीराम जाति मीना
- (3) रामलकम मिन्सी पुत्र नामा लम मीना
- (4) टोडमीम खाड़ा का मोहल्ला बलागदार केवड़ी
- (5) राज्य सरकार जोरिये तहसीलदार टोडमीम

बत दोसरो खोतेदारी स्थायी लिखवाजा

मुकदमा नं० 63 सन् 2011

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाले कतई खबई श्री राम गेरासी गुप्ता अव. व हाजिरी

विष्णु गेरा जिन्दल अव. मिनकानिब गुदई खबर हंगोर

ब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है। व डिक्री दी जाती है कि

दावा वादी गण खारिज किया जाता है।

मुबलिंग बाबत खर्चा इस मुकदमे के मय
 फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक

का अदा करे। 18 माह 12 सन् 2015

दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख
 को जारी की गई।

दस्तखत उप विष्णु कलक्टर
टोडमीम (करीली)
 ओहदा

	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिशनर		
फीस कमिशनर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखया गया हो या नहीं दर्ज कराना चाहिए।